# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या 294/2024**

**तेजसिंह पुत्र जोरसिंह**
**बनाम**
**राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सेखाला**

**दिनांक 03 .01.2025**

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जो0ग्रा0) द्वारा राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट–केतुकला में अंतर्गत धारा 131, 132, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रकरण सं0.../18 अनवान तहसीलदार बालेसर बनाम समस्त गांव हटेसिंह नगर में पारित आदेश दिनांक 29.6.18 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20.1.23 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील बालेसर स्थित ग्राम हटेसिंह नगर के उल्लेखित खसरान में से उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी ग्राम हटेसिंह नगर, हाल–तहसील सेखाला के खसरा नं0 661/625 तथा 664/625 की खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है, जिसके मध्य में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। प्रस्ताव में अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की माठ से कदीमी रास्ता बताते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही सहमति ली गई। अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान की खातेदारी भूमि के मध्य जहां ग्रेवल सड़क बनी हुई है, वहां पर गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम नही कर, ख0नं0 450/1, 448, 447, 446, 445, 625, 639, 640 व 628/1 की माठ पर गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है। जबकि उक्त खसरान के मध्य ग्रेवल सड़क के रूप में वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही मौजूद है, जिसकी नक्शे में तरमीम नही है। अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना तथा हल्का पटवारी की मौका फर्द के विपरित पारित किया गया है। मौका फर्द में स्पष्ट रूप से अंकित है कि मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा आवागमन हो रहा है। इसके विपरित माठ पर कदीमी रास्ता मौजूद नही है। अतः अपील स्वीकार कर दोनो अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए पूर्व से मौजूद ग्रेवल सड़क को राजस्व नक्शें में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

अति. संभागीय आयुक्त

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फसल खरीफ संवत् 2073 दौराने गश्त मौके पर चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन प्रस्तावित किया गया। जिसमें अधिकतम खातेदार सहमत है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरों एवं इससे संबंधित काश्तकारों/खातेदारों के नाम तहसीलदार बालेसर द्वारा मजमें आम बमुकाम केतुकलां में पढकर सुनाया गया, अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बालेसर हाल सेखाला के प्रस्ताव पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 14.6.18 में अधिकतम खातेदारन के हस्ताक्षर किए हुए है तथा मौके पर ग्रेवल सड़क डाली हुई तथा आवागमन होने का उल्लेख किया हुआ है। अपीलांट का कथन है उक्त ग्रेवल सड़क प्रस्तावित रास्ते से भिन्न है तथा प्रकरण में उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश अपीलांट के ख0नं0 661/625 तथा 664/625 की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण अपीलांट की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण सं0...../18 में पारित आदेश दिनांक 29.6.18 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20.1.23 अपीलांट के ख0नं0 661/625 तथा 664/625 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं उक्त खसरान के खातेदारों /सह–खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

03.01.25

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर